2769

अध्ययन/स्रोत-संदर्भ: आकाशवाणी समाचार 29 सितंबर 2026 (GI प्राप्ति-सूचना); जीआई रजिस्ट्री: आवेदन सं. 777 (आवेदन 24 सितंबर 2021; स्थिति: पंजीकृत)

वास्तविक प्रकाशन तिथि: 20 अक्टूबर 2026

कला-संस्कृति: लोक वाद्य और भौगोलिक संकेत (GI)

समाचार-संदर्भ:

आकाशवाणी समाचार की 29 सितंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के पारंपरिक लोक वाद्य मांदर को भौगोलिक संकेत (GI) टैग मिला है। चेन्नई स्थित भारत सरकार की भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने “मांदर ऑफ झारखंड” को यह पंजीकरण दिया, जिससे इसकी भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान को कानूनी मान्यता मिली। जीआई रजिस्ट्री की प्रविष्टि (आवेदन सं. 777) के अनुसार आवेदक रायडीह मांदर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (गुमला, झारखंड) है और प्रविष्टि-स्थिति “पंजीकृत” है।

GI आवेदन 24 सितंबर 2021 को दाखिल हुआ था; आवेदन में पारंपरिक शिल्प-कौशल, स्थानीय लाल मिट्टी का उपयोग, स्वदेशी निर्माण-तकनीक और विशिष्ट ध्वनि को प्रमुख विशेषताओं के रूप में रखा गया। “मांदर सम्राट” मनपुरन नायक ने इसे पूर्वजों और झारखंड की मिट्टी के प्रति श्रद्धांजलि बताया। मान्यता से पारंपरिक कारीगरों के उत्पादों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत आधार मिलने की उम्मीद है।

PCSMANTRA.COM

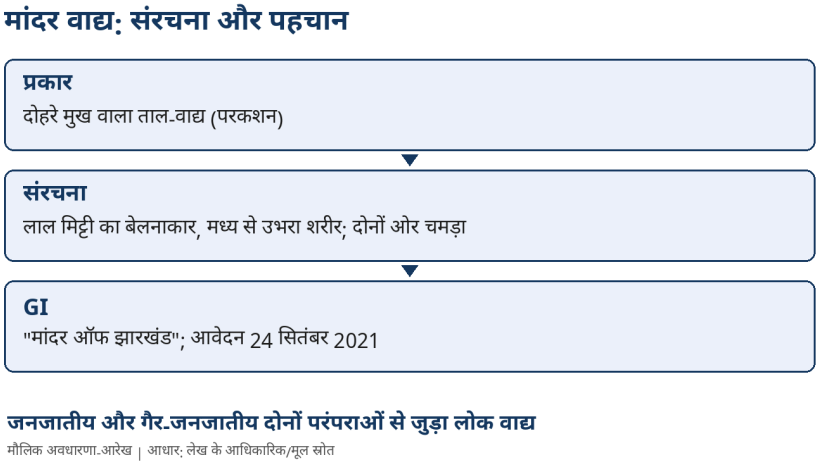

चित्र के अक्षर छोटे दिखें तो चित्र को छूकर बड़ा खोलें और ज़ूम करें।

लेख के मूल स्रोतों पर आधारित मौलिक अवधारणा-आरेख।

वाद्य की संरचना और वादन:

मांदर लाल मिट्टी से बना बेलनाकार दोहरे मुख वाला वाद्य है, जिसका शरीर बीच में हल्का उभरा और भीतर से खोखला होता है। दोनों छोर चमड़े से ढके होते हैं – दाहिना मुख छोटा, बायां बड़ा – और चमड़ा गुंथी हुई रस्सियों से कसा जाता है। छोटे मुख पर किरन नामक विशेष लेप लगाया जाता है, जिससे मांदर की गूंजती अनूठी ध्वनि बनती है।

वादक इसे कंधे पर रस्सी से टांगकर, तालबद्ध गति से चलते हुए भी बजाता है। त्योहार, फसल-उत्सव, धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यह प्रमुख वाद्य है और सदियों से जनजातीय व गैर-जनजातीय समुदायों के नृत्य-गीत परंपराओं में बना हुआ है।

भौगोलिक संकेत (GI) क्या है?

PCSMANTRA.COM

बौद्धिक संपदा भारत (IP India) के अनुसार भौगोलिक संकेत वह चिह्न है जो किसी उत्पाद की उत्पत्ति किसी देश, क्षेत्र या स्थान से जोड़ता है; ऐसा नाम गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है, जो मूलतः उसी भौगोलिक मूल से आती है। पेरिस कन्वेंशन और TRIPS समझौते में GI बौद्धिक संपदा अधिकारों का तत्व माना गया है।

भारत में GI का कानूनी आधार भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम 1999 है। मांदर जैसे पारंपरिक उत्पादों के लिए GI पंजीकरण कारीगरों की विरासत की कानूनी रक्षा और बाजार-पहचान दोनों का साधन है।

> GI पहचान के आगे की कड़ी - नाबार्ड का समर्थन कैसे पंजीकरण को ग्रामीण उत्पादकों के लाभ में बदलता है, देखने के लिए पढ़ें: नाबार्ड का जीआई समर्थन: पंजीकरण से ग्रामीण उत्पादकों के लाभ तक।

प्रारंभिक परीक्षा: अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. मांदर क्या है और किस राज्य से इसका GI संबंध है?

(a) तंतु वाद्य; असम

(b) सुषिर वाद्य; कर्नाटक

(c) घन वाद्य; राजस्थान

(d) दोहरे मुख वाला ताल-वाद्य; झारखंड

> **उत्तर: (d)।** आकाशवाणी: झारखंड के लोक जीवन से जुड़ा दोहरे मुख वाला परकशन वाद्य; GI “मांदर ऑफ झारखंड”।

प्रश्न 2. मांदर की संरचना के बारे में सही कथन चुनें:

1. लाल मिट्टी का बेलनाकार, मध्य से उभरा शरीर होता है।

2. दाहिना मुख बाएं मुख से बड़ा होता है।

3. छोटे मुख पर किरन नामक लेप लगता है।

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

PCSMANTRA.COM

> **उत्तर: (c)।** दाहिना मुख छोटा और बायां बड़ा होता है; कथन 2 गलत।

प्रश्न 3. “मांदर ऑफ झारखंड” GI प्रकरण में सही तथ्य कौन-सा है?

(a) GI रजिस्ट्री नई दिल्ली में है

(b) आवेदन 24 सितंबर 2021 को दाखिल हुआ था

(c) यह भारत की पहली GI है

(d) GI अधिनियम 1972 का है

> **उत्तर: (b)।** आकाशवाणी: आवेदन 24 सितंबर 2021; रजिस्ट्री चेन्नई; अधिनियम 1999।

स्रोत:

आकाशवाणी समाचार: मांदर को GI टैग, 29 सितंबर 2026

बौद्धिक संपदा भारत (IP India): भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (आधिकारिक पाठ)

भारतीय जीआई रजिस्ट्री: “Mandar Of Jharkhand” (आवेदन सं. 777; स्थिति: पंजीकृत)

PCSMANTRA.COM